संख्या–वे0आ0–2–381/दस–54(एम)/2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
सचिवालय प्रशासन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 18 मार्च, 2011

विषयः– वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–1) में उत्तर प्रदेश सचिवालय के सम्बन्ध में की गयी विस्तृत संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वेतन समिति द्वारा उत्तर प्रदेश सचिवालय के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–1) में दी गयीं संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :—

(1) उ0प्र0 सचिवालय में विद्यमान सामान्य कोटि के पदों पर समिति द्वारा की गयी सामान्य संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जायें।

(2) उ0प्र0 सचिवालय के ऐसे टेलीफोन आपरेटर संवर्ग के पदधारक जिन्हें पूर्व में सहायक समीक्षा अधिकारी पद के समान रू0 4500–7000 का वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य रहा है, को कम्प्यूटर सहायक के रूप में पदनामित करने के स्थान पर सहायक समीक्षा अधिकारी के संवर्ग में संविलीन करते हुए पुनरीक्षित वेतन संरचना में रू0 5000–8000 के सादृश्य वेतन बैण्ड–2 रु0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/– दिनांक 27 नवम्बर 2009 से अनुमन्य कराया जाय।

(3) उ0प्र0 सचिवालय के सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) के पदों पर सचिवालय सेवा के सहायक समीक्षा अधिकारी के समान रू0 5000–8000 के सादृश्य वेतन बैण्ड–2 रु0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/– दिनांक 27 नवम्बर 2009 से अनुमन्य कराया जाय। समीक्षा अधिकारी (लेखा) के पदों पर उ0प्र0 सचिवालय सेवा के समीक्षा अधिकारी के समान दिनांक 01 जनवरी 2006 से वेतन बैण्ड–2 रु0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/– का लाभ अनुमन्य कराया जाय।

अनुभाग अधिकारी (लेखा) के पदों पर अनुमन्य वेतनमान

रू0 7500–12000 के सादृश्य वेतन बैण्ड–2 रु0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रु0 4800/– दिनांक 30 जुलाई, 2008 के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रकल्पित आधार पर अनुमन्य कराते हुए वास्तविक लाभ दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से अनुमन्य कराया जाय।

(4) उ0प्र0 सचिवालय के व्यवस्थापक संवर्ग के पुनर्गठन से सम्बन्धित संस्तुतियों पर पुनर्विचार कर संस्तुति देने हेतु वेतन समिति को सन्दर्भित कर दी जाये।

(5) उ0प्र0 सचिवालय में विद्यमान विधान भवन रक्षक, मुख्य रक्षक, उप निरीक्षक, निरीक्षक एवं सुरक्षा अधिकारी के पदों पर पुलिस विभाग के कान्स्टेबिल, हेड कान्स्टेबिल, उप निरीक्षक, निरीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी पदों के समान तथा अग्निशमन शाखा के अग्नि रक्षक, मुख्य अग्नि रक्षक, द्वितीय अग्नि शमन अधिकारी, अग्नि शमन अधिकारी एवं मुख्य अग्नि शमन अधिकारी के पदों पर पुलिस विभाग की अग्नि शमन शाखा के समकक्ष पदों के समान वेतनमान अनुमन्य कराये जायें।

तथापि सचिवालय परिसर की सुरक्षा की संवेदनशीलता एवं सुरक्षा के वर्तमान परिवेश को देखते हुए सचिवालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकार द्वारा नयी तकनीक से सुसज्जित उपकरणों की स्थापना के साथ–साथ सुरक्षा कर्मियों की अर्हता में वृद्धि एवं उन्नत प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था करते हुए इनके वेतनमान में सुधार किये जाने हेतु विचार कर निर्णय लिया जाये जिससे दक्ष एवं योग्य सुरक्षा कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। इन कर्मियों के लिये प्रोत्साहन भत्ते की अनुमन्यता/दरों/निर्धारित अधिकतम् सीमा आदि के सम्बन्ध में संस्तुतियॉ अन्य भत्ते एवं सुविधाओं के सम्बन्ध में दी जाने वाली संस्तुतियों के साथ दी जायेंगी।

(6) उत्तर प्रदेश सचिवालय के प्रभारी टाइपराइटर मैकेनिक, टाइप राइटर मैकेनिक एवं सहायक टाइप राइटर मैकेनिक के पदों को मृत संवर्ग घोषित किया जाय। इन पदों पर तैनात पदधारकों द्वारा सेवा निवृत्त अथवा अन्य कारणों से पद रिक्त किये जाने पर यह पद स्वतः समाप्त माने जायेगें।

(7) उत्तर प्रदेश सचिवालय के दफ्तरी प्रशिक्षित एवं दफ्तरी के पदों को संविलीन कर दफ्तरी पदनाम सें पद रखे जायें। इन पदों पर चतुर्थ श्रेणी के सामान्य कोटि के पदों के सम्बन्ध में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 1800 अनुमन्य कराया जाये।

(8) अनुवादक संवर्ग के विभिन्न श्रेणी के पदों का निम्न तालिकाओं के अनुसार पुनर्गठन करते हुए पुनर्गठन के उपरान्त अस्तित्व में आये

रू0 7500–12000 के सादृश्य वेतन बैण्ड–2 रु0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रु0 4800/– दिनांक 30 जुलाई, 2008 के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रकल्पित आधार पर अनुमन्य कराते हुए वास्तविक लाभ दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से अनुमन्य कराया जाय।

(4) उ0प्र0 सचिवालय के व्यवस्थापक संवर्ग के पुनर्गठन से सम्बन्धित संस्तुतियों पर पुनर्विचार कर संस्तुति देने हेतु वेतन समिति को सन्दर्भित कर दी जाये।

(5) उ0प्र0 सचिवालय में विद्यमान विधान भवन रक्षक, मुख्य रक्षक, उप निरीक्षक, निरीक्षक एवं सुरक्षा अधिकारी के पदों पर पुलिस विभाग के कान्स्टेबिल, हेड कान्स्टेबिल, उप निरीक्षक, निरीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी पदों के समान तथा अग्निशमन शाखा के अग्नि रक्षक, मुख्य अग्नि रक्षक, द्वितीय अग्नि शमन अधिकारी, अग्नि शमन अधिकारी एवं मुख्य अग्नि शमन अधिकारी के पदों पर पुलिस विभाग की अग्नि शमन शाखा के समकक्ष पदों के समान वेतनमान अनुमन्य कराये जायें।

तथापि सचिवालय परिसर की सुरक्षा की संवेदनशीलता एवं सुरक्षा के वर्तमान परिवेश को देखते हुए सचिवालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकार द्वारा नयी तकनीक से सुसज्जित उपकरणों की स्थापना के साथ–साथ सुरक्षा कर्मियों की अर्हता में वृद्धि एवं उन्नत प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था करते हुए इनके वेतनमान में सुधार किये जाने हेतु विचार कर निर्णय लिया जाये जिससे दक्ष एवं योग्य सुरक्षा कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। इन कर्मियों के लिये प्रोत्साहन भत्ते की अनुमन्यता/दरों/निर्धारित अधिकतम् सीमा आदि के सम्बन्ध में संस्तुतियॉ अन्य भत्ते एवं सुविधाओं के सम्बन्ध में दी जाने वाली संस्तुतियों के साथ दी जायेंगी।

(6) उत्तर प्रदेश सचिवालय के प्रभारी टाइपराइटर मैकेनिक, टाइप राइटर मैकेनिक एवं सहायक टाइप राइटर मैकेनिक के पदों को मृत संवर्ग घोषित किया जाय। इन पदों पर तैनात पदधारकों द्वारा सेवा निवृत्त अथवा अन्य कारणों से पद रिक्त किये जाने पर यह पद स्वतः समाप्त माने जायेगें।

(7) उत्तर प्रदेश सचिवालय के दफ्तरी प्रशिक्षित एवं दफ्तरी के पदों को संविलीन कर दफ्तरी पदनाम सें पद रखे जायें। इन पदों पर चतुर्थ श्रेणी के सामान्य कोटि के पदों के सम्बन्ध में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 1800 अनुमन्य कराया जाये।

(8) अनुवादक संवर्ग के विभिन्न श्रेणी के पदों का निम्न तालिकाओं के अनुसार पुनर्गठन करते हुए पुनर्गठन के उपरान्त अस्तित्व में आये

पदों पर तालिका के स्तम्भ–3 के अनुसार पदनाम तथा स्तम्भ–4 व 5 के अनुसार वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन दिनांक 01 जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन का लाभ प्रकल्पित आधार पर अनुमन्य कराते हुए वास्तविक लाभ तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय :—

हिन्दी प्रभाग

वर्तमान स्थिति		पुनर्गठित ढ़ाँचा		
पदनाम/पदों की संख्या	दि0 1–1–96 से पूर्व की तिथि से उच्चीकृत वेतमनान	पदनाम/वेतन मान एवं पदों की संख्या	पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	
			वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अनुवादक (हिन्दी)(17)	5000– 8000	अनुवादक (हिन्दी) (21) 7450–11500	वेतन बैण्ड–2	4600
पुनरीक्षक (हिन्दी) (5)	5500– 9000			
अनुभाग अधिकारी (6)	6500– 10500	अनुभाग अधिकारी (6) 7500–12000	–तदैव–	4800

ऊर्दू प्रभाग

वर्तमान स्थिति		पुनर्गठित ढ़ाँचा		
पदनाम/पदों की संख्या	दि0 1–1–96 से पूर्व की तिथि से उच्चीकृत वेतमनान	पदनाम/वेतनमान एवं पदों की संख्या	पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	
			वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अनुवादक (ऊर्दू) (21)	5000– 8000	अनुवादक (ऊर्दू) (26) 7450–11500	वेतन बैण्ड–2	4600
पुनरीक्षक (ऊर्दू) (5)	5500– 9000			
अनुभाग अधिकारी (2)	6500– 10500	अनुभाग अधिकारी 7500–12000 (05)	–तदैव–	4800

उपरोक्तानुसार पुनर्गठित ढाँचें में हिन्दी प्रभाग तथा उर्दू प्रभाग के अनुभाग अधिकारियों की सम्मिलित ज्येष्ठता सूची बनायी जाये। भाषा अधिकारी एवं ज्येष्ठ भाषा अधिकारी के पदों को संविलीन कर अनुसचिव (भाषा) पदनाम से निम्नानुसार पद रखे जायें :—

वर्तमान स्थिति		पुनर्गठित ढ़ाँचा	
पदनाम/पदों की	दि0 1–1–96 से पूर्व की	पदनाम/वेतनमान एवं पदों की	पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड

संख्या	तिथि से उच्चीकृत वेतमनान	संख्या	एवं ग्रेड वेतन	
			वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
भाषा अधिकारी (3)	8000– 13500	अनुसचिव (भाषा) (04) 10000–15200	वेतन बैण्ड–3	6600
ज्येष्ठ भाषा अधिकारी (1)	10000– 15200			

अनुसचिव भाषा के पदों को अनुभाग अधिकारी के पदों से सम्मिलित ज्येष्ठता सूची के आधार पर पदोन्नति कर भरे जाने की व्यवस्था की जाये।

(9) उ0प्र0 सचिवालय के पुस्तकालय के पदों के सम्बन्ध में सामान्य कोटि के पदों से सम्बन्धित प्रतिवेदन में की गयी संस्तुति के अनुसार सचिवालय पुस्तकालय को सचिवालय परिसर के भीतर ही संचालित रखने तथा पुस्तकालय की वर्तमान स्थिति/संगठनात्मक व्यवस्था को बरकरार रखते हुए इसके बेहतर प्रबन्धन हेतु विशेषज्ञों को सम्मिलित कर परामर्शदात्री समिति गठित कर पूर्व निर्णय के अनुसार शीघ्र कार्यवाही की जाय तथा पुस्तकालय संवर्ग के कार्मिकों की सेवा नियमावली प्राथमिकता के आधार पर प्रख्यापित करायी जाय।

(10) भिश्ती, टिण्डैल आदि सामान्य श्रेणी से इतर पदनामों से उपलब्ध पदों की वर्तमान परिवेश में आवश्यकता नहीं रह गयी है। इन पदों को बनाये रखने अथवा इन पदों को समाप्त करते हुए सम्बन्धित पदधारकों का समायोजन अन्यत्र किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक समिति गठित की जाये और समिति की संस्तुति के आधार पर निर्णय किया जाये।

(11) उत्तर प्रदेश सचिवालय में विद्यमान डाटा इन्ट्री आपरेटर के एकल पद का अलग अस्तित्व बनाये रखने के स्थान पर इस पद को सहायक समीक्षा अधिकारी संवर्ग में संविलीन करते हुए रु0 5000–8000 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 रु0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाये।

(12) उत्तर प्रदेश सचिवालय के अन्य पदों पर कोई विसंगति परिलक्षित नहीं होती है। इन पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य हो रहे सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन यथावत् रखें जायें।

(13) उत्तर प्रदेश सचिवालय के उप सचिव पद के अपुनरीक्षित वेतनमान रु0 12000–16500 को पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–3, रु0 15600–39100 तथा ग्रेड वेतन रु0 7600/– के स्थान पर संयुक्त सचिव के समान वेतन बैण्ड–4, रु0 37400–67000 में रखे जाने के प्रकरण को राज्य सरकार द्वारा औचित्य सहित भारत

सरकार के विचारार्थ सन्दर्भित किया जाये। भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में यदि कोई निर्णय लिया जाता है तो तदनुसार राज्य सरकार द्वारा विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

2— कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव।

संख्या—वे0आ0—2—381 (1)/दस—54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(3) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।